संघ लोक सेवा आयोग

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019

उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व उम्मीदवारों को इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व, उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित संगत मूल दस्तावेजों को भी 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन लें और उसे अधिकतम 1 एमबी तक की अलग अलग पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित नहीं होना चाहिए और यह विस्तृत आवेदन-प्रपत्र के ऑनलाइन जमा करते समय ही अपलोड की जानी चाहिए।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (ii) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 20 मार्च, 2019 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (iv) परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में उल्लिखित अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबंध न होने के उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति।
- (v) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (vi) आयु में रियायत, जहां कहीं लागू हो, के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (vii) बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (viii) संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति अगर पहले से सरकारी सेवा में हैं।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सहित, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवार द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- 3. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-! में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। ऐसा अधिकारी, संबद्ध राज्य सरकार से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पद नामित किया हो, यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- 3.1 कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ का दावा करता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र (पात्रता का प्रमाणपत्र) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।
- नोट I: उम्मीदवार यह नोट करें कि उनके अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./बेंच मार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों/पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात 16.04.2019 से पहले) से पहले के होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 21 में निर्दिष्ट किया गया है।
- नोट 2: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार यह नोट करें कि उनका आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र परीक्षा के नियमावली के नियम 21 में यथानिर्दिष्ट 01 अगस्त, 2019 से पहले का होना चाहिए।
- नोट 3: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे स्वीकार नही किया जाएगा।

- नोट 4: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत:, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
- नोट 5: आयोग, उम्मीदवार द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमित नहीं देगा, सिवाय भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा नियम, 2019 के नियम 20 में उल्लिखित परिस्थितियों में।
- 4. उम्मीदवार वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरें और उसे ऑनलाइन सब्मिट करें।
- 5. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र की (जिसमें जन्म की तारीख बताई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ भेजनी चाहिए। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा ऐसे ही अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 6. उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा के दिनांक 20 मार्च, 2019 के नोटिस के पैरा 3(III) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस विशिष्ट योग्यता को प्रदान करने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन प्रति ही अपलोड करनी चाहिए।
- टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 20 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलत हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सही रूप से आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- 8(i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यत: रहा है या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक अविध के दौरान वह सामान्यत: जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।
- (ii) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से परिशिष्ट-॥ में दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुआ।

- (iii) आयु में छूट का दावा करने वाले ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति संबंद्ध प्राधिकारियों से लेकर **परिशिष्ट-III** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
- (iv) बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी का होने का दावा करने वाले उम्मीदवार को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 की नियमावली के नियम 19 में उल्लिखित एक या उससे अधिक शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना अपेक्षित होगा। उसे परिशिष्ट-V/ परिशिष्ट-V/ परिशिष्ट-VI/ परिशिष्ट-VII/अन्य में दिये गए फार्मैंट में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी चाहिए।

टिप्पणी : आयु में छूट के पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बेंचमार्क श्रेणी के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अर्हक तभी माना जाएगा जब (सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के उपरांत) यह पाया जाता है कि वह भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानक संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

9. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णत: अनंतिम है तथा उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होंगा ।

साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों को, उनकी स्व-सत्यापित प्रतियों के एक सेट सहित प्रस्तुत करना होगा।

- 10. जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र सभी अनुलग्नकों रहित या कुछ अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-प्रपत्र ऑनलाइन द्वारा ठीक से भरा गया है।
- 11. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार में उम्मीदवार परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकृत आई.डी. (11 अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।
- 12. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको इस वचनबंध (अण्डरटेकिंग) (जैसा कि विस्तृत आवेदन-पत्र की घोषणा में हैं) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमित रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है (कपया भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2019 की नियमावली का नियम 9 देखें)।

सकती है (कृपया भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 की नियमावली का नियम 9 देखें)।
उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाने वाले वचनबंध का फॉर्म
वचनबंध (सरकारी कर्मचारियों के लिए)
मैंने अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को दिनांक को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि मैंने भारतीय आर्थिक
सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन किया है।
(हस्ताक्षर)
नाम :
अनुक्रमांक:
नोट : ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से
नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं,
उनको वचनबंध (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है
कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके
उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमित रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत
किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
<u>परिशिष्ट-I</u>
(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों
द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ------ सुपुत्र/सुपुत्री* श्री ------

----- जो गांव/कस्बा* ------ जिला/मंडल* ------ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ------ के/की* निवासी हैं

अनुसूचित जाति/ जनजाति* के/की* है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता दी गई है :-
संविधान (अनुस्चित जातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 @
[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन
अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां
और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य
अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @
संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां
(संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं ।
यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/कस्बा* ग्राम/कस्बा*
जिला/मंडल* जो जो जाति/
जनजाति* से संबद्ध हैं जिसेकि के रूप में मान्यता
प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती*द्वारा दिनांककोकोको
को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार आम तौर पर/से ग्राम/कस्बा*
जिला/मंडल* में रहते/रहती हैं । ————————————————————————————————————
हस्ताक्षर **पदनाम
पदनाम (कार्यालय की मोहर)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
स्थान
तारीख

- * जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें।
- @ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।

नोट:- यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- ** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछुड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची:
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी किमश्नर/एडीशनल डिप्टी किमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/##सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट किमश्नर।

(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।

- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।
- (ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी*		सुपुत्र/सुपुः	र् ग ी* श्री/श्रीमती -	
जो जिला/मंडल*	के गांव/कस्बा*-		राज्य/संघ राज्य	क्षेत्र*
के/की* निवासी हैंके/कि	समुदाय के हैं जिसे	निम्नांकित के अधी	न अन्य पिछड़ी	श्रेणी होने की
मान्यता प्राप्त है :-				

- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं012011/68/93-बी.सी.सी. (सी.)।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 का संकल्प सं012011/9/94-बी.सी. ।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं012011/7/95-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं012011/96/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं012011/44/96-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/99/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/13/97-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं012011/68/98-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं012011/88/98-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं012011/36/99-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं012011/44/99-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं012011/9/2000-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं012011/1/2001-बी.सी.सी.।

- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं012011/4/2002-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं012011/9/2004-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं012011/14/2004-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं012015/15/2008-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं012015/13/2010-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं012015/05/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/07/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं012011/01/2015-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं012011/14/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं012011/15/2016-बी.सी.-II
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं020012/01/2017-बी.सी.-II।
- श्री/श्रीमती/कुमारी* ------ और/या उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल* ----------- के गांव/कस्बा* ------ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.

अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों *(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है ।
हस्ताक्षर
**पदनाम
(कार्यालय की मोहर)
राज्य/संघ शासित क्षेत्र
स्थान
तारीख
*जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें।
(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र
के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वचन-बंध का प्रारूप ।
<u>वचनबंध</u> मैं निवासी ग्राम/कस्बा/शहर
जिला
सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) में सम्मिलित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़
्वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए कार्मिक तथा प्रशिक्षण
विभाग भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त संदर्भित का.ज्ञा. सं0 36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.), और दिनांव
9.3.2004 और दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. सं0 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) तथा दिनांक 27.5.2013 के ज्ञार
सं036033/1/2013-स्था0(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों *(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित
नहीं हूं।
हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम
अनुक्रमांक
* जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें ।
ू
नोट:- यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
** अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी
करने के लए सक्षम हैं।
करन के लेड़ राजन है। टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई
उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित
सूचियों में प्रकाशित किया गया है । जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उस
अस्वीकार कर दिया जाएगा।
टिप्पणी 2 : उम्मीदवार अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किय
जाएगा जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं । अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन
कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमे
(पिता) मूलत: सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो ।
टिप्पणी 3 : आयोग, सामान्यत: उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई जातीय स्थिति
में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा ।
<u>परिशिष्ट-।</u>
रक्षा सेवा के दौरान विकलांग हुए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र:-
प्रमाणित किया जाता है कि सं
यूनिटरक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई
के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।
हस्ताक्षर हस्ताक्षर
पदनाम
दिनांक
*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें ।

<u>परिशिष्ट-III</u>

सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 के का.ज्ञा. सं036033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और दिनांक 14.10.2008 के ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) और ज्ञा. सं. 36033/1/2013-स्था0 (आरक्षण) दिनांक 27.05.2013 की

(क) निर्मुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म
प्रमाणित किया जाता है कि सं जैंक रैंक नाम नाम जिनकी
जन्मतिथि है से तक थल सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित शर्त पूरी करते हैं :-
(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर निमुक्त हुए हैं न कि कदाचार या
अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त हुए हैं।
(ख) वे सैन्य सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारण को निर्मुक्त हुए हैं।
स्थान:
तारीख:
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम ——
मुहर (च)
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म
(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर निर्मुक्त किया जाना है)
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंकरैंक
नाम से थल सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक दे थल सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।
का संशस्त्र संनाओं में अपने विनियाजन का विनिद्धि अविधि पूरी करने वाल हा स्थान
दिनांक
कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर
उक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचनबंध देना होगा :-
उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध:
मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो यह नियुक्ति, मेरे द्वारा
नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से
निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि मैं समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों
में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूं।
उम्मीदवार के हस्ताक्षर स्थान
दिनांक
(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं ।
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक नाम नाम जिनकी
जन्मतिथि है से थल सेना/नौ सेना/ वायु सेना में सेवारत हैं ।
2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर ली है और अब वे तक बढ़ाए गए
कार्यकाल पर हैं ।
3. उन्हें सिविल रोज़गार में आवेदन-पत्र देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें सिविल रोज़गार मिलने पर तीन माह के
नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा ।
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
कार्यालय की मोहर स्थान
स्थान दिनांक
प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-
(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के
मामले में :-
थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
नौ सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
वायु सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
(ख) जे0सी0ओ0/ओ0आर0 तथा नौ सेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :-
थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा ।
नौ सेना बी.ए.बी.एस., सुम्बई ।
वायु सेना वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली ।

<u>प्रपत्र – IV</u>

अशक्त व	त्र्यक्तियों द्वारा अश ्	<u>न्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र</u>			
1.	नाम				
	_ ` ,	(प्रथम नाम) (मध्य नाम)			
2.		माता का नाम			
3.					
4.	्रावेदन के समय	, , , , ,			
5.		ला/ट्रांसजेंडर			
6.	पता:	<u>.</u>			
	(क) स्थायी प	ता:			
		पता (अर्थात पत्र-व्यवहार के लिए)			
	(9) 4000				
	(ग) वर्तमान प	गते पर निवास करने की अवधि			
6.	शैक्षणिक योग्यता	ं (जो लागू हो कृपया उसे चिन्हित करें)			
	(i)	स्नातकोत्तर			
	(ii)	स्नातक			
	(iii)	डिप्लोमा			
	(iv)	हायर सेकेंडरी			
	(v)	हाई स्कूल			
	(vi)	मिडिल			
	(vii)	प्राइमरी			
	(viii)	अशिक्षित			
8.	व्यवसाय				
9.	पहचान के चिन्ह	(i) (ii)			
10.	अशक्तता की प्रवृ				
11.	*	। अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष से			
12.	(i) क्या आपने क	भी पूर्व में अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नही			
	(ii) यदि हां, तो विवरण दें :				
	(क) किस प्र	गिधिकारी और जिले में आवेदन किया है			
	` '	न का परिणाम			
13.		में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।			
घोषणा	महत्वपूर्ण जान	घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई कारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार			
	मेरे विरुद्ध अन्य	य कार्रवाई की जा सकती है।			

(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा मानसिक अशक्तता(मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

दिनांक : स्थान :								
स्थान . संलग्नक	<u>:</u>							
1.	निवास	का प्रमाण (जो ला	ग हो कपया उसे नि	वेन्हित करें)				
	(क)	राशन कार्ड,	<i>x c</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				
	(ख)	मतदाता पहचा	न पत्र,					
	(ग)	ड्राइविंग लाइसें						
	(घ)	वैंक पासबुक,						
	` ´ (ड.)	पैन कार्ड,						
	` <i>′</i> (च)	पासपोर्ट,						
	` (छ)	टेलीफोन, विद्य	त, जल और अन्य	उपभोज्य बिल	जिसमें आवेदक व	का पता लिख	ा हो.	
	(ज)	•					-	री अथवा किसी सरकारी
	()		टर द्वारा जारी नि					
	(झ)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				रेए निवास स	संस्थान के स	मामले में ऐसे संस्थान के
	()	प्रमुख से निवास		•		•		•
2.	पासपो	र्ट आकार के दो नर्व	नितम फोटोग्राफ					
			 (केव	 ल कार्यालय उ	 पयोग के लिए)			
दिनांक :				3	ारी करने वाले प्र	ाधिकारी के ह	हस्ताक्षर	
स्थान :					ोहर			
	((अंगच्छेदन या अंगो (प्रम	के पूर्ण रूप से स्थ गाण पत्र जारी करने		— माण पत्र के मामले में और	•		मले में)
								अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)
					~ ·			
प्रमा	ण पत्र सं		+ 1 		दिनांक :		 /	}/111 » 11
	янич			-			-	ो/पुत्री श्री
				-	-			सं
स्थाया ।न			-					· राज्य > .
(T)		ौर जिनका फोटोग्रा म्न रोग से ग्रस्त हैं:	फ ऊपर लगाया ग	याह,काध्या	नपूर्वक जाच कर	लाहआरम	सतुष्ट हू ।	क :
(ক)		न्न राग स ग्रस्त ह: लने में असमर्थ						
		ौनापन(ड्वार्फिज्म)						
		ष्टिहीन र्						
		मृपया जो लागू हो उ						
` ,		गमले में		_				C
(ग)	मार्गनि	दशो के अनुसार (1	वशेष रूप से उल्ले	गख) उन्हें	% (अंकों में	·)		प्रतिशत (शब्दों में) उनके

(शरीर के अंग) के	संबंध में स्थायी शारीरिक अक्षमता/दृष्टि	ष्टे बाधिता है।	,
2. आवेदक ने अपने निव	गस के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्त्	तावेज प्रस्तुत किया है:-	
दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवर	ण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

डिजेबिलिटी)

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

<u>प्रपत्र –VI</u>

अशक्तता प्रमाण पत्र (एकाधिक अशक्तता के मामले में) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र	। सं.	दिनांक	:	
2	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श	श्रीमती/कुमारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
	जन्म तिथि	_ (दिनांक/माह/वर्ष) आयु वर	र्ष, पुरूष/महिला	· पंजीकरण सं
स्थायी निव	ासी मकान नं वा	र्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	जिला राज्य
	और जिनका फोटोग्राफ ऊपर	लगाया गया है, की ध्यान	पूर्वक जांच कर	ली है और मैं संतुष्ट हूं कि
(क) वह ए				् . ा की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार
(•	ारी किए जाने की तारीख		से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है
क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
				मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल			
	पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीडि़त			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज			
	डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट			
	अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग			

14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			
(ख) उपर	ोक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिश	ा-निर्देशों के अनुसार (दिशा-निर्दे	शों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की
तारीख क	ा विशेष रूप से उल्लेख किया जा	ए), उनका समग्र शारीरिक दौ	र्बल्य निम्नानुसार है	; :-
आंकड़ों में	: प्रति	शत		
शब्दों में :		प्रतिशत	न	
2.	इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न	बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सु	धार न होने की संभ	ावना है।
3.	अशक्तता का पुन: आकलन :	3 3		
	(i) आवश्यक नहीं है,			
	अथवा			
	(ii) की अनुशंसा की जाती है/	वर्षोंमाह के उपरांत ः	और इसलिए यह प्रग	नाण पत्र
	तक के लिए वैध रहेगा ।	.		(दिनांक) (माह) (वर्ष)
@	उदाहरण बायां/दायां/दो	`		
#	उदाहरण एक आंख/दोनो			
£	उदाहरण बायां/दायां/दो	नों कान		
4 <u> </u>	आवेदक ने अपने निवास के प्रमा			
दस्ताव	जि की प्रकृति	जारी करने की तारीख		नाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का
			<u> </u>	वरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र –VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र	त्र सं.	दिन	ांक :		
,	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने	। श्री/श्रीमती/कुमारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	<u></u> ή
		(दिनांक /माह/वर्ष) आयु			
स्थायी निव	त्रासी मकान नं				
	 और जिनका फोटोग्र				
	अशक्तता से ग्रस्त है	*	• •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	जशक्ता स प्रस्त ह दिशा-निर्देशों की सं				
•	है और नीचे तालिका में संगत [्]			राप रूप रा उरलाख ।मामा र	गाए) जायगरात
क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/	
				मानसिक अक्षमता (% में)	
1.	चलने में असमर्थ	@			
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी				
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी				
	क्योर्ड)				
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात				
	(सेरिब्रल पॉल्सी)				
5.	तेजाबी हमला पीडि़त				
6.	कम दृष्टि	#			
7.	बधिर	€			
8.	श्रवण बाधित	€			
9.	वाक एवं भाषा संबंधी				
	अशक्तता(स्पीच एंड				
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)				
10.	बौद्धिक अशक्तता				
	(इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)				
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट				
	अशक्तता (स्पेसिफिक				
	लर्निंग डिजेबिलिटी)				
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर				
13.	मानसिक व्याधि				
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक				
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)				
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस				
16.	पार्किंसन्स रोग				
17.	हीमोफीलिया				
18.	थैलेसीमिया				
19.	सिकल सेल रोग				
(जो अशक्त	ता लागू न हो कृपया उसे काट	दें।)			
2.	इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न	बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/	/सुधार न होने की संभाव	बना है।	
	अशक्तता का पुन: आकलन :	9	9		
	(i) आवश्यक नहीं है,				
	अथवा				
((ii) की अनुशंसा की जाती है/	वर्षोंमाह के उपरांत	त और इसलिए यह प्रमा	ण पत्र	
	तक के लिए वैध रहेगा ।			(दिनांक) (माह) (वर्ष)	
@	उदाहरण बायां/दायां/दो				
#	उदाहरण एक आंख/दोने	ों आंख			

€	उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान
4.	आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

7	. जायप्याग जयगागपारा यात्रम	ाग रत्ररूप गिम्मालाखत परतापण प्रस्तुत क्य	। ह
	दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का
	<u> </u>		विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। {यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

प्रपत्र –VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना]

दिनांक : सं	
सेवा में, (अशक्तता प्रमाण पत्र के आवेदक का नाम और पता)	
विषय: अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति ।	
महोदय/महोदया, कृपया दिनांक के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:	जारी किए
को अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका चिकित्सा प गया और मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपको अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं	
(i) (ii) (iii) 3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन	
 उ. याद आप अपने आवदन का अस्वाकार किए जान से असतुष्ट है, तो इस निगय का समाक्षा हेतु अपना अस्यावदन को प्रस्तुत कर सकते हैं। 	भवदीय,

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

----- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं		0 :
		दिनांक
	वर्ष के लिए मान्य	
	केया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पु	<u> </u>
स्थायी पता	ग्राम/स्ट्रीट डाकघर जिला	राज्य / केन्द्र शासित
प्रदेश रि	पेन कोड जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, का फोटोग्र	ाफ नीचे अनुप्रमाणित किया गया है, वित्तिय वर्ष
तब से उन	nɪ/ उनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये 08 लाख (रूपये आठ लाग्	ख केवल) से कम है, उनका/उनकी परिवार के
पास नीचे दी गई में से	कोई भी संप्रत्ति अपनी नहीं है।	
I. 5 एकड़ औ	र इससे अधिक की कृषि भूमि	
II. 1000 वर्ग	फीट और इससे अधिक की आवासीय प्लॉट	
III. अधिसूचित	निगमों में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट	
IV. अधिसूचित	िनिगमों के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासी	य प्लॉट
2. श्री/श्रीमर्त	/कुमारी जाति के है, जि	से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं
अन्य पिछः	- डा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।	
आवेदक का हार	ा का	कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर
पासपोर्ट आकार	का	नाम
अनुप्रमाणित		पदनाम
फोटोग्राफ		
1		

^{*} नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।

^{**} नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है ।

^{***} नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2019 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to a separate pdf file up to 1 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 7 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 20th March, 2019.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Economically Weaker Section (EWS) (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix-I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being persons with benchmark disability (wherever applicable).
- (VIII) Scanned copy of the Undertaking duly signed by the candidate if already in Government Service.

Duly signed copy of the online Detailed Application Form along with originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's Website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. A candidate who claims to belong to one of the Schedule Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 3.1 A candidate who claims reservation benefit under Economically Weaker Section (EWS) should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the Income and Asset Certificate (Certificate of Eligibility).
- **Note 1:** Candidates should note that their SC/ST/OBC/PwBD/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2019 [i.e. prior to 16.04.2019] as prescribed in the Rule 21 of

the rules for the examination.

Note 2: Candidates of Economically Weaker Section should note that their Income and Asset Certificate should be earlier than 1st August, 2019 as prescribed in the Rule 21 of the rules for the examination.

- Note 3: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.
- **Note 4:** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
- **Note 5:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 20 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination Rules, 2019.
- 4. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the Web-site www.upsc.gov.in.
- 5. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may upload a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must upload in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/ Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

- 6. A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice dated 20th March, 2019 for the Examination available on the website of Commission. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- **Note 1:** A candidate who holds a completed secondary school certificate need to upload a scanned copy of the page containing entries relating to age only.
- Note 2: Candidates should note that only the date of birth as recorded in the matriculation / higher secondary examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.
- 7. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 20th March, 2019. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

- 8(i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload a scanned copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- (ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-II**, from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he/she was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.
- (iii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the form given in **Appendix-III**, from the authorities concerned.
- (iv) A candidate claiming to belong to Persons with Benchmark Disability category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule 19 of the Rules for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2019. He/She must upload a scanned copy of the Certificate of Disability in Form V/Form VI/Form VI/others issued by notified Medical Authority of the Central/State Government.
- NOTE: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE INDIAN ECONOMIC SERVICE/INDIAN STATISTICAL SERVICE TO CANDIDATES BELONGING TO THE PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY CATEGORY BY THE GOVERNMENT.
- 9. The candidates should note that their candidature for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2019 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.
- **Note**: Candidates shortlisted for interview on the basis of written result will be required to upload scanned copies of documents/relevant certificates in support of claims made in the on-line application as and when demanded by the Commission.
 - Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview along with a set of self certified documents.
- 10. Any online Detailed Application Form received without scanned copies of all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the Application Form is properly filled in through online
- 11. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of the Examination, his Full Name, Roll Number, Registration I.D. (11 digits) and date of birth.
- 12. Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to **upload** an undertaking (as in the **Declaration in the Detailed Application Form**) that they have informed in writing their Head of Office/ Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled. (**Please refer Rule 9 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination Rules, 2019**)

The form of the Undertaking to be uploaded by the candidate:

UNDERTAKING (for Government Employees) I have intimated my Head of Office / Department in writing on
that I have applied for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2019.
(Signature)
Name:
Roll No
NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated
employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an
undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department
that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a
communication is received from their employer by the Commission withholding
permission to the candidates applying for appearing at the examination, their
applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be
cancelled.
APPENDIX-I
(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes
candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/ daughter* of of village/town* in District/ Division*
of the State/Union Territory* belongs to the
caste/tribe* which is recognised as a Schedule Caste/Schedule Tribe*
under:-
the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@
the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@
the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@ the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order,
1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the
State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971,
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 the State of
Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and
Diu (Reorganisation) Act, 1987.] the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@
the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as
amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 @
the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@
the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@
the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@
the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@ the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@
the Constitution (SC) Order (Amendment), Act, 1990@
the Constitution (ST) Order (Amendment), Act, 1991@ the Constitution (ST) Order (Second Amendment), Act, 1991@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 @
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment), Act, 2002 @
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment), Act, 2002
the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment), Act, 2002 @
%2. Applicable in the case of Schedule Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes
certificate issued to Shri/Shrimati* Father/ Mother of

@Please quote specific Presidential order.

%Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
 - (iii) Revenue Officers not below the rank of tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appoint-ment to posts under the Government of India.

This	18	to	certify	that	Shri/Shrimati/Ku	marı			
son/daug	ghter	* of	Shri .			of	village/town*		in
District/I	Divis	ion*			of the State/Union	Terri	tory*	belongs	to
the			Com	munity v	which is recognized	as a	backward clas	s under :	

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.186 dated the 13th September, 1993.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.94 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20.10.1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.88 dated 25.5.1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.60 dated 11th March, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated 11th December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated $11^{\rm th}$ December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated $12^{\rm th}$ December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.241 dated the 27th October, 1999.

- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.270 dated the 6th December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.71 dated the 4th April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2000-BCC dated the 6^{th} September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.246 dated the 6^{th} September. 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.151 dated the 20th June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BCC dated the 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.10 dated the 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.67 dated the 12th March, 2007.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.232 dated the 18th August, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated the 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated the 08th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.257 dated the 08th December, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/05/2011-BC-II dated the 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14th January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23^{rd} January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23^{rd} January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27th May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27th May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30th June, 2016.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22^{nd} December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22^{nd} December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19th January, 2017.

march, 2004 and O.M. 110.00000/0/2004-Dott.(Nes.	.) dated 14 October, 2000 and O.M.
No.36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27th May, 2013.	
	Signature
	**Designation
(With	n Seal of Office) State/Union Territory
Place:	
Date:	
(B-1) The format of undertaking to be furnished a	along with the Detailed Application

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

UNDERTAKING

	I son/daughter of	Shri	resident
of	f Village/Town/City District		State/ UT
	hereby declare that I belong	to the	Community
wh	which is recognized as a backward class by the Go	overnment of India for the	purpose of
res	eservation in services as per orders contained in	Department of Personnel	& Training
Off	Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dat	ed 8.9.1993. It is also ded	clared that I
do	o not belong to persons/sections (Creamy Layer) m	entioned in Column 3 of the	he Schedule
to	o the above referred Office Memorandum,	dated 8.9.1993 and	O.M. No.
360	6033/3/2004/Estt (Res.) dated 9.3.2004 and 14.1	10.2008 and O.M. No.360	33/1/2013-
Est	stt.(Res.) dated 27th May, 2013 as amended from t	ime to time.	

Signature
Name of the Candidate
Roll No

@Strike out whichever is not applicable.

NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

- **Note 1:** Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.
- **Note 2 :** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one state (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
- **Note 3:** No change in the community status already indicated by a candidate in his/her application form for this examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 20 of the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service Examination Rules, 2019.

^{*}Please delete the words which are not applicable.

APPENDIX-II THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATE WHO GOT DISABLED WHILE IN DEFENCE SERVICE IS:-
Certified that No Rank of Unit was
disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.
Signature Designation
 (a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other- wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. (b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on
Station: Date:
Signature and Designation of the Competent Authority
SEAL (B) FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL
(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)
I hereby certify that, according to the information available with me No
Rank is serving in the Army/Navy/Air
Force from and is due to complete the specified term of his engagement with
the Armed Forces on the date
Place:
Date:
Signature of Commanding Officer Office Seal
Candidate furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:- UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE:
I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to ex-servicemen in terms of the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.
Signature of candidate Place:
Date: (C) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR SERVING ECOs/SSCOs WHO HAVE ALREADY COMPLETED THEIR INITIAL ASSIGNMENT AND ARE ON EXTENDED ASSIGNMENT.
It is certified that No Rank
date of birth is is serving in the Army/Navy/Air Force from
is on extended assignment till
Date: Name and Designation of the
Competent Authority SEAL

Authorities who are competent to issue certificate are as follows:-

(a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs. Army - Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi. Navy - Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi. Air Force - Directorate of Personnel Officers, Air Hgrs., New Delhi. (b) In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force. Army - By various Regional Record Offices. Navy - BABS, Mumbai. Air Force - Air Force Records NERW, New Delhi. **APPENDIX-IV** FORM- IV Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities (1) Name:_ (Surname) (First Name) (Middle Name) (2) Father's Name: ____ Mother's Name: (3) Date of Birth : _____/___ (Date) (Month) (Year) (4) Age at the time of application: _____ years (5) Sex: Male/Female/Transgender_____ (6) Address: (a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication) (c) Period since when residing at current address _____ (7) Educational Status (please tick as applicable) Post Graduate (i) (ii) Graduate Diploma (iii) Higher Secondary (iv) (v) High School (vi) Middle (vii) Primary (viii) Non-literate (8) Occupation (9) Identification marks (i) (ii) _____ (10)Nature of disability: (11)Period since when disabled: From Birth//since year _ (12)(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ (13)yes/no (ii) If yes, details: (a) Authority to whom and district in which applied ___ (b) Result of application Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please (14)enclose a true copy. **Declaration**: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law. (signature or left thumb impression of person with disability, or of his/ her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc) Date:

Place:

Enclosures:

1.	 (a) ration of (b) voter id (c) driving (d) bank point (e) PAN ca (f) passpoont (g) telephont address (h) a certificantonio 	entity card, license, assbook, rd,	rater and nce issi gazetted	l any other uti ued by a Par l officer, or the	nchayat,	municipality,
mentally ill, as	nd other dis	f a residential ins ability, a certifica ert size photograpl	te of resi			
		For offi	ice use o	 nly)		
Date: Place:		F	orm-V	Signature of issu Stamp	uing autho	ority
(In cases of ar	nputation o	Certificat r complete perma of bl		•	r dwarfisn	n and in case
Certificate No.				Date:		Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.
This is	to certify t son/wife/da	hat I have carefu aughter of Shri _ rs, male/female _	lly exam	Date	of Birth	(DD/MM/YY)
permanent res	sident of Ho	use No	Ward	/Village/Street _		Post
Office District State, whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: • locomotor disability • dwarfism • blindness (Please tick as applicable) (B) the diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-						
Nature of Doc	ument	Date of Issue		Details of author	ority issui	ng certificate
Signature/thu impression of person in wl favour certifi of disability issued	the nose cate		(Signat	are and Seal of A		1 Signatory of cal Authority)

Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) [See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate	e No.			Date:
Th				Shri/Smt./Kum
	son/	wife/daughter	r of Shri	Date of
Birth (DD)/MM/YY) A	ge years	s, male/female _	Registration
No	permanent r	esident of Ho	ouse No	Ward/Village/Street State, whose
	Post Office	Distric	et \$	State, whose
	h is affixed above, and			
				t of permanent physical
				number and date of
				ked below, and is shown
	e relevant disability in t			T
S. No	Disability	Affected	Diagnosis	Permanent physical
		part of		impairment/mental
		body		disability (in %)
1.	Locomotor disability	<u>@</u>		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
	Speech and			
	Language disability			
12.	Intellectual			
	Disability			
13.	Specific Learning			
	Disability			
14.	Autism Spectrum			
	Disorder			
15.	Mental illness			
	Chronic Neurological			
	Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			
			I	I
(B) In the	e light of the above, h	is/her over a	all permanent ph	ysical impairment as per
				specified), is as follows: -
	: perce			

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is : (i) not necessary,

or				
(ii) is recommended/		years	months	s, and therefore this
certificate shall be				
	(DD)	(MM) (Y)	Y)	
	t/both arms/leg	S		
# e.g. Single eye				
£ e.g. Left/Right		4		1
4.The applicant has submitted Nature of document		document as		
Nature of document	Date of issue			of authority issuing
			certificate	<u>e</u>
5. Signature and seal of	the Medical Ass	1		
5. Signature and seal of	The Medical Aut	norny.		
Name and Seal of Member	Name and Sea	1 of Mombor	Name a	and Seal of the
Name and Sear of Member	Name and Sea	n or member	Chairpers	
			Champers	5011
Signature/thumb impression	2			
of the person in whose favou				
certificate of disability is	1			
issued.				
issued.				
	Form	ı – VII		
(In acres et		of Disability	Common V on d	7.71)
	her than those n			
(Name and Addre	ess of the Medica	al Authority is	ssumg me Ce	er unicate)
				December 1997
				Recent passport
				size attested photograph
				(Showing face
				only) of the
				person with
Contificate No	Data			disability
Certificate No.	Date:	ad Claui / Cuat	/ <i>IV</i>	
This is to certify that I have		ea Shri/Smt	/ Kum	Data of Dintle
son/wife/daugl		/fom ala	Dogiatration	Date of Birth
(DD/MM/YY) Age				
permanent resident of House				Post Office
District			, wnose p	hotograph is affixed
above, and am satisfied that His/her extent of percentag			silitre boo boo	disability.
guidelines (number and			ies to be spe	cilled) and is snown
against the relevant disability			ogia Dorm	anant nhrrainal
S. No Disability	Affected of body	part Diagn		anent physical
	or body		_	irment/mental
1 1 0000 - 4 1 : - 1 "	liter (a)		disab	ility (in %)
1. Locomotor disabi	• -			
2. Muscular Dystrop	ony			
	i	l		
3. Leprosy cured				
4. Cerebral Palsy				
4. Cerebral Palsy 5. Acid attack Victin				
4. Cerebral Palsy5. Acid attack Victin6. Low vision	#			
4. Cerebral Palsy5. Acid attack Victin6. Low vision7. Deaf	# €			
 Cerebral Palsy Acid attack Victin Low vision Deaf Hard of Hearing 	# €			
 Cerebral Palsy Acid attack Victin Low vision Deaf Hard of Hearing Speech and Lang 	# €			
 Cerebral Palsy Acid attack Victin Low vision Deaf Hard of Hearing Speech and Lang disability 	# € € guage			
 Cerebral Palsy Acid attack Victin Low vision Deaf Hard of Hearing Speech and Lang 	# € € guage			
 Cerebral Palsy Acid attack Victin Low vision Deaf Hard of Hearing Speech and Lang disability Intellectual Disab 	# € € guage			
 Cerebral Palsy Acid attack Victin Low vision Deaf Hard of Hearing Speech and Lang disability Intellectual Disab 	# € € guage			
4. Cerebral Palsy 5. Acid attack Victim 6. Low vision 7. Deaf 8. Hard of Hearing 9. Speech and Lang disability 10. Intellectual Disability 11. Specific Lea Disability	# € € guage			

13. Mental illness

14.		Neurolog	ical						
	Conditio								
15.		sclerosis							
		on's diseas	9						
	Haemop								
18.									
		ell disease							
		ne disabiliti							
2. The a	bove con	dition is p	rogre	essive/n	on-prog	res	ssive/lik	cely to improve/no	ot likely to
improve.									
		disability i	s:						
	essary, or								
								months, and the	erefore this
		valid till (D		$\mathrm{M/YY})$ $_{-}$		_			
		both arms/	legs						
# - eg. Sir	ngle eye/b	oth eyes							
€ - eg. Lef									
4. The ap	plicant ha	s submitte	d the	following	ng docu	me	nt as pi	oof of residence:-	
Nature of				e of issu				Details of author	rity issuing
								certificate	y C
				(Au	thorised	ı S	ignatory	of notified Medica	
								(Nam	ne and Seal)
Signature	/thum						{Co	Cor untersignature and	untersigned diseal of the
b impres					Chief I	Лес		icer/Medical Supe	
the pers								vernment Hospital,	
-				C				by a medical auth	
whose	favour			_				overnment servant	
certificate	_								()
disability	is								
issued									
Note In	case this	certificate	is is	sued by	a med	ica	l autho	rity who is not a (Government
servant, i	t shall be	valid only i	f cou	_	ned by ti RM - VI		Chief M	edical Officer of the	e District
	[Intim	ation of rej	ectio				r Certifi	cate of Disability]	
No						D	ated:		
To,	1	1.1	1.						
		address of a		cant					
		te of Disabi			۵.				
		pplication f	or Ce	ertificate	e of Disa	lb1l	<u>1ty</u>		
Sir/ Mad									
			plica	ation da	ted		for issu	e of a Certificate o	of Disability
for the fol	lowing dis	sability:							
		.1 1		1			1	. 11 41	1 . 1/
2. Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/									
Medical Authority on, and I regret to inform that, for the reasons mentioned									
	below, it is not possible to issue a Certificate of Disability in your favour:								
(i)									
(ii)									
(iii)				_				4	
								pplication, you ma	y represent
to	:	, requesting	g for	review o	of this de	ecis	sion.		
									s faithfully,
				(Author	rised Sig	gna	itory of	the notified Medica (Nam	ol Authority) ne and Seal)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate	No.	 	 	
Date:		 		

VALID	FOR	THE	YEAR	

This is to certify that Sh	ıri/Smt./Kumari	s	on/daughter/
wife of	permanent resident of		Village/
Street Post Office	ce, D	istrict	in the State/
Union Territory	Pin Codewhos	se photograph is a	attested below
belongs to Economically Weaker	r Sections, since the gre	oss annual incom	ie* of his/her
family** is below Rs. 8 lakh (Rt	upees Eight Lakh only)	for the financial	year
His/her family does not own or po	ossess any of the followin	g assets***:	•

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.
- 2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office
Name
Designation

Recent
Passport Size
attested
photograph of
the applicant

^{*}Note l: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession,

^{**}Note 2: The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

^{***}Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.